25.9.24 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे उभय पक्ष की बहस सूनी गई थी। प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया जाता है। पत्रावली मीसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आ.ए.एस.

दावा संख्या 93/2019
मूलचन्द्र पिता दौलतराम जी रेगर निवासी सामरिया खुर्द तहसील बेगूं
वादी

बनाम

1– रामचन्द्र पिता दौलतराम जी रेगर निवासी सामरियाखुर्द तह0 बेगूं
2– शांतिलाल पिता दौलतराम जी रेगर निवासी सामरियाखुर्द तह0 बेगूं
3– शंकरलाल पिता दौलतराम जी रेगर निवासी सामरियाखुर्द तह0 बेगूं
4– श्री भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं जिला चित्तौड़गढ़
5– श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय जी, चित्तौड़गढ़
प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री सी.पी.शर्मा
अधिवक्ता वादी
श्री गोपाल लाल चतुर्वेदी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण
निर्णय दिनांक ::–25.09.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम सामरियाखुर्द पटवार हल्का सामरियाखुर्द में खाता संख्या 39 (सं0 2070 से 2073) में वादी के कब्जे काश्त एवं हिस्सेदारी में निम्न आराजीयात स्थित है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
39	40	0.1780
	42	0.3160
	44	0.3240
	46	0.0240
	48	0.3000
	51	0.5910
	144	0.1940
	145	0.1540
	147	0.2270
	482/43	0.0810
	489/335	0.6150
कुल किता–	11	3.0040 हैक्टर

यह किवाद वर्णित उक्त आराजीयात में वादी का कुल हिंस्सा 1/4 क्षैत्रफल 0.7410 हैक्टर भूमि है। शेष भूमि अन्य सहखातेदारों की राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 39 अनुसार दर्ज रेकार्ड है। वादी वाद वर्णित उक्त आराजयीात का खातेदार एवं हिस्से अनुसार काश्तकार होकर कब्जे काश्त में है।

यह कि वादी वर्णित आराजी अन्य सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त के खातेदारी में होने से हमेशा सीमाबन्दी को लेकर आप में विवाद एवं तनाव होता रहता है एवं राजकीय कार्य में एवं ऋण इत्यादि प्राप्त करने में भी भारी परेशानी होती है इसलिए वादी अपने हिस्से की वाद वर्णित अनुसार मीट्स एण्ड बोन्ड्स के अनुसार कराना चाहता है लेकिन अन्य प्रतिवादीगण मौके पर आपस में रजामन्दी अनुसार विभाजन कराने के पक्ष में नहीं है मीट्स एवं बोन्डस के अनुसार भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किया जाना न्यायोंचित एवं विधि सम्मत है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि वाद कारण दिनांक 10.06.2019 को वादी ने प्रतिवादीगण से अपनी सहमति से तहसील में चलकर राजस्व रेकार्ड में हिस्सा अनुसार विभाजन करा वादी का हिस्सा पृथक रूप से दर्ज कराये जाने बाबत कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर रोज वर्तमान है। वादपत्र में वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होकर न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना है कि :–

(क) यह कि खाता नम्बर 39 आराजी संख्या 40 रकबा 0.1780 हैक्टर, 42 रकबा 0.3160 हैक्टर, 44 रकबा 0.3240 हेक्टर, 46 रकबा 0.0240 हैक्टर, 48 रकबा 0.3000 हैक्टर, 51 रकबा 0.5910 हैक्टर ,144 रकबा 0.19401 हैक्टर , 145 रकबा 0.1540 हैक्टर, 147 रकबा 0.2270 हैक्टर , 482/43 रकबा 0.0810 हैक्टर , 489/335 रकबा 0.6150 हैक्टर कुल रकबा 3.30040 हैक्टर वर्णित संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का मीटस एवं बाउण्ड्स एवं कब्जे के आधार पर वादी का हिस्सा 1/4 रकबा 0.7510 हैक्टर भूमि का विभाजन किया जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

(ख) यह कि वादपत्र की कलम संख्या एक व तीन में वर्णित संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आरीयात का विभाजन वादपत्र के अनुसार वादी के पक्ष में किया जाकर राजस्व रेकार्ड में भी वादी का पृथक से खाता दर्ज कराये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावे।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो धारा 209 के अन्तर्गत वो भी प्रदान कराई जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की आरे से अधिवक्ता श्री इफ्तेखार अजमेरी द्वारा एवं श्री गोपाल लाल चतुर्वेदी द्वारा संयुक्त अधिकार पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण की ओर से जबाबदावा मय प्रतिवादपत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वादपत्र की कलम आंशिक स्वीकार है प्रतिवादीगण को अपने अपने हक हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है। राजस्व रेकार्ड मे प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज है।

यह कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात पर प्रतवादीगण का भी अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। साथ ही बंटवारे को लेकर मौके पर विवाद हो जाता है इसी कारण प्रतिवादीण्गा भी अपने अपने हक हिस्से की भूमि का पृथक पृथक बंटवारा चाहते है जो मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार चाहते हैं । प्रतिवादीगण ने वादी से बंटवारा कराने की कहा किन्तु वादी ने बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया था।

यह कि मौजा सामरियाखुर्द प.ह. सामरियाकलां की आराजी संख्या 40, 42, 44, 46, 48, 51, 144, 145, 147, 482/43, 489/335 कीता–11 कुल रकबा 3.0040 हैक्टर भूमि जो काउंटर क्लेमकर्ता एवं वादी मूलचंद्र रेगर के संयुक्त खातेदारी की है जिसमें प्रत्येक का 1/4–1/4 हक राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है एवं काउंटर कलेमकर्ता का मौके पर कब्जा एवं काश्त है।

यह कि वाद वर्णित आराजीयात का विधिवत बंटवारा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार नहीं होने के कारण अक्सर बुंवाई जुताई हंकाई एवं पिलाई के समय अकारण वादी मूलचंद्र विवाद कर देता है जिसक कारण विना कारण काश्त उत्पन्न करने में बाधा होती है। इस कारण काउंटरक्लेमकर्ता प्रत्येक का पृथक पृथक अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि का बंटवारा करवाना चाहते है।

यह कि काउण्टरक्लेमकर्तागण दिनांक 04.09.2019 को वादी मूलचंद्र को बंटवारा कराने हेतु काह तो वादी ने कोई प्रत्युतर नहीं दिया इस कारण उक्त दिनांक 04.09.2019 को वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान हैं।

अतः काउण्टर क्लेम प्रस्तुतकर्तागण के पक्ष में निम्न आशय की डिकी प्रदान की जावें:–

(क) कि काउण्टरक्लेम में वर्णित भूमि का बंटवारा प्रत्येक काउण्टरक्लेमप्रस्तुतकर्तागण के हक हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बंटवारा किया जावें।

(ख) कि अन्य कोई दाद मुफिद बहक काउंटर क्लेमप्रस्तुतकर्तागण के पक्ष में हो प्रदान की जावें।

दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पैरोकार फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र के जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, चूँकि जवाबदावा व प्रतिवादपत्र ईकबालिया वादपत्र के अनुसार ही विभाजन किये जाने से सम्बन्धी होने से पत्रावली में तनकी पत्र कायम नहीं किया जाकर वादी को पत्रावली मे साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये गये पत्रावली में वादी को साक्ष्य हेतु कई बार अवसर दिये जाने के उपरान्त

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

उनके द्वारा कोई साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से साक्ष्य वादी की बंट की गई। जबकि पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र रामचन्द्र पिता दौलतराम रेगर गवाह मांगीलाल पिता गोपीलाल मीणा के प्रस्तुत किये गये तथा इनके साक्ष्य शपथ पत्र पर मुख्य परीक्षण अधिवक्ता वादी द्वारा किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने अपने बयान कलमबद्ध कराये गये। पत्रावली मे साक्ष्य वादी की नहीं होकर प्रतिवादी काउण्टरक्लेम प्रस्तुतकर्ता की पूर्ण होने पर साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली मे बहस उभयपक्ष की बहस सुनी गई जो वादपत्र एवं काउण्टरक्लेम के अनुसार की गई है। पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार से है प्रदर्श– 1 नकल जमाबंदी मौजा सामरियाखुर्द खाता संख्या 39प्रदर्श–1 में दर्ज आराजी संख्या 40, 42, 44, 46, 48, 51, 144, 145, 147, 482/43, 489/335 कीता–11 कुल रकबा 3.0040 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री दौलतराम पिता सालग रेगर सा.देह खातेदार है तथा जमाबंदी में लालस्याही से नोट अंकित किये हुए है कि नामा.स. 431 दिनांक 27.07.2018 विक्रय से आराजी नं. 144, 145, 147 किता–3 रकबा 0.5750 हैक्टर भूमि पर श्री शंकरलाल पिता दौलतराम के बजाय श्री मूलचन्द्र1/4, रामचन्द्र 1/2 शांतिलाल 1/4 पिता दौलतराम रेगर सा.देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति होने का नोट अंकित है इसी प्रकार विरासत से नामा.सं. 352 दिनांक 20.10.2014 से दौलतराम के बजाय मूलचन्द्र रामचन्द्र शंकरलाल शांतिलाल लालीबाई राजीबाई भूलीबाई हीरीबाई सोहनीबाई पिता दौलतराम भूरीबाई पत्नि दौलतराम रेगर सा.देह के नाम दर्ज करने का नोट अंकित हैं। नामा.सं. 429 दिनांक 6.04.2018 विरासत से भूरीाई पत्नि दौलतराम के बजाय खाता श्री मूलचन्द्र रामचन्द्र शंकरलाल शांतिलाल बालीबाई राजीबाई उर्फ रामीबाई भूलीबाई हीरीबाई सोहनीबाई पिता दौलतराम रेगर सा.देह के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है साथ ही ना.सं. 429 दिनांक 21.06. 2018 हकत्याग से खाता श्री बालीबाई राजीबाई उर्फ रामीबाई भूलीबाई हीरीबाई सोहनीबाई पिता दौलतराम के बजाय श्री मूलचन्द्र रामचन्द्र शंकरलाल शांतिलाल पिता दौलतराम रेगर सा.देह खातेदार के नाम दर्ज करने की स्वीकृति का नोट हैं। इस प्रकार वर्णिति भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 तक के नाम पर दर्ज अंकित हैं। प्रदर्श– 2 नक्शाट्रेस आराजी का है, यह दोनो ही दस्तावेज वादपत्र में वादी की ओर से प्रस्तुत किये गये है। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज जो प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये है उनमें नकल जमाबंदी मौजा सामरियाखुर्द सं0 2078 की प्रस्तुत की गई है जो प्रदर्श–3 है। जिसमें खाता संख्या 100 में दर्ज आराजी संख्या 144, 145, 147 कीता– 3 रकबा 0.5750 हैक्टर भूमि मूलचन्द्र पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/4 रहन बैक ऑफ बडौदा शाखा सामरियाकला , रामचन्द्र पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/2रहन हिस्सा 1/4 बैंक आफ बडौदा शाखा सामरियाकला , शांतिलाल पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/4 जाति रेगर सा.देह खातेदार के नाम पर दर्ज अंकित है। प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी मौजा सामरियाखुर्द सं0 2078 खाता संख्या 99 में दर्ज आराजी संख्या 40, 42, 44, 46मी., 48मी., 482/43, 489/335, 51 कीता–8 कुल रकबा 2.4290 हैक्टर भूमि खातेदार मूलचन्द्र पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/4, रामचन्द्र पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/4, शंकरलाल पिता दौलतराम हिस्सा 1/4 इनका हिस्सा बैंक ऑफ बडोदा सामरियाकला के रहन है तथा शांतिलाल पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/4 जाति रेगर के नाम पर दर्ज अंकित है। प्रदर्श–5 व प्रदर्श–6 नक्शाट्रेस आराजीयात का प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाना हम उचित समझते है, दावा पत्रावली में वादी की ओर से कोई साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है, ना ही वादपत्र के सम्बन्ध में अन्य तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है, जबकि प्रतिवादी काउण्टरक्लेम प्रस्तुतकर्ता की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए सभी दस्तावेज को प्रदर्श भी कराया गया है। जिससे प्रतिवादीगण का प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने से खारिज किया जाता है, प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिवादपत्र (काउण्टरक्लेम) अन्तर्गत धारा 53 राज.काश्त.अधि. का स्वीकार किया जाता है। मौजा सामरियाखर्द के 100 में दर्ज आराजी संख्या 144, 145, 147 कीता– 3 रकबा 0.5750 हैक्टर भूमि मूलचन्द्र पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/4, रामचन्द्र पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/2रहन हिस्सा 1/4, , शांतिलाल पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/4 जाति रेगर सा.देह, खाता संख्या 99 में दर्ज आराजी संख्या 40, 42, 44, 46मी., 48मी., 482/43, 489/335, 51 कीता–8 कुल रकबा 2.4290 हैक्टर भूमि खातेदार मूलचन्द्र

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

दौलतराम हिस्सा 1/4, रामचन्द्र पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/4, शंकरलाल पिता दौलतराम हिस्सा 1/4 शांतिलाल पुत्र दौलतराम हिस्सा 1/4 जाति रेगर के नाम पर दर्ज भूमि को उक्त हिस्सा अनुसार कब्जे काश्त को कम से कम डिस्टर्ब करते हुए भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को भिजवाते हुए वर्णित भूमि का फर्द बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में तलब किया जावें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक 2947 दिनांक 06.08.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा सामरियाखुर्द प.ह. सामरियाकलां की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– श्री मुलचन्द पुत्र दौलतराम रेगर सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरिया कला

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
144 मे	0.074	चाही।	2.52
145 मे	0.070	चाही।	2.38
42 मे	0.96	बीड	0.23
44 मे	0.184	जाव।।	2.51
489/335 मे	0.153	बीड	0.37
51 मेसे	0.148	चाही।।	4.13
कीता– 06	0725 हैक्टर		12.14

2– रामचन्द्र पुत्र दौलतराम रेगर सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरिया कला

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
144 मे	0.096	चाही। 0.088	3.00
		जाव। 0.008	0.14
145 मे	0.047	जाव।	0.82
147 मे	0.144	चाही	4.91
42 मे	0.140	बीड	0.34
144 मे	0.140	चाही। 20.121	3.38
		जाव।। 0.019	0.26
489/335 मे	0.154	बीड	0.37
51 मेसे	0.147	चाही।। 0.093	2.60
		जाव।। 0.054	0.13
कीता– 07	0.868 हैक्टर		15.95

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

शंकरलाल पुत्र दौलतराम रेगर सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरिया कला

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
40 मे	0.079	बीड	0.19
42 मे	0.080	बीड	0.19
48 मे	0.120	चाही।। 0.006	0.17
		जाव।। 0.114	1.55
489/335 मे	0.154	बीड	0.37
51 मे	0.148	चाही।। 0.094	2.62
		जाव।। 0.054	0.13
कीता– 05	0.581 हैक्टर		5.22

4– शांतिलाल पुत्र दौलतराम रेगर सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरिया कला

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
144 मे	0.024	चाही। 0.088	0.82
145 मे	0.037	चाही।। 0.019	0.65
		जाव।। 0.018	0.31
147 मे	0.47	चाही।	2.83
42 मे	0.099	बीड	0.24
48 मे	0.48	चाही। 20.121	5.02
489/335 मे	0.154	बीड	0.37
51 मेसे	0.148	चाही।। 0.094	2.62
		जाव।। 0.054	0.13
कीता– 07	0.725 हैक्टर		0.69

5– शामलाती जमाबंदी खातानुसार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
46 मी.	0.024	चाही।। 0.012	0.33
		जाव।। 0.012	0.16
482/43	0.081	बरानी5	0.20
कीता– 2	0.105 हैक्टर		0.69

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

गूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या 93/2019

मूलचन्द्र पिता दौलतराम जी रेगर निवासी सामरिया खुर्द तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1– रामचन्द्र पिता दौलतराम जी रेगर निवासी सामरियाखुर्द तह0 बेगूँ
2– शांतिलाल पिता दौलतराम जी रेगर निवासी सामरियाखुर्द तह0 बेगूँ
3– शंकरलाल पिता दौलतराम जी रेगर निवासी सामरियाखुर्द तह0 बेगूँ
4– श्री भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
5– श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय जी, चितौडगढ़
प्रतिवादीगण

निर्णय वाद डिक्री अ0धा0 53 राज0 काश्त0 अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री गोपाल लाल चतुर्वेदी की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 25.09.2024को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता हैः–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा सामरियाखुर्द प.ह. सामरियाकलां की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– श्री मुलचन्द पुत्र दौलतराम रेगर सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरिया कला

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
144 मे	0.074	चाही।	2.52
145 मे	0.070	चाही।	2.38
42 मे	0.96	बीड	0.23
44 मे	0.184	जाव।।	2.51
489/335 मे	0.153	बीड	0.37
51 मेसे	0.148	चाही।।	4.13
कीता– 06	0.725 हैक्टर		12.14

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ)

2– रामचन्द्र पुत्र दौलतराम रेगर सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरिया कला

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
144 मे	0.096	चाही I 0.088	3.00
		जाव I 0.008	0.14
145 मे	0.047	जाव I	0.82
147 मे	0.144	चाही	4.91
42 मे	0.140	बीड	0.34
144 मे	0.140	चाही I 20.121	3.38
		जाव II 0.019	0.26
489/335 मे	0.154	बीड	0.37
51 मेसे	0.147	चाही II 0.093	2.60
		जाव II 0.054	0.13
कीता– 07	0.868 हैक्टर		15.95

3– शंकरलाल पुत्र दौलतराम रेगर सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरिया कला

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
40 मे	0.079	बीड	0.19
42 मे	0.080	बीड	0.19
48 मे	0.120	चाही II 0.006	0.17
		जाव II 0.114	1.55
489/335 मे	0.154	बीड	0.37
51 मे	0.148	चाही II 0.094	2.62
		जाव II 0.054	0.13
कीता– 05	0.581 हैक्टर		5.22

4– शांतिलाल पुत्र दौलतराम रेगर सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरिया कला

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
144 मे	0.024	चाही I 0.088	0.82
145 मे	0.037	चाही II 0.019	0.65
		जाव II 0.018	0.31
147 मे	0.47	चाही I	2.83
42 मे	0.099	बीड	0.24
48 मे	0.48	चाही I 20.121	5.02
489/335 मे	0.154	बीड	0.37
51 मेसे	0.148	चाही II 0.094	2.62
		जाव II 0.054	0.13
कीता– 07	0.725 हैक्टर		12.99

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

शामलाती जमाबंदी खातानुसार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
46 मी.	0.024	चाही।। 0.012	0.33
		जाव।। 0.012	0.16
482/43	0.081	बरानी5	0.20
कीता– 2	0.105 हैक्टर		0.69

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

क्रमांक/सरिश्ता/2024/486 दिनांक :– 26.9.24
दावा संख्या 93/2019 व अनवान मूलचन्द्र बनाम रामचन्द्र वगै. दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट में अंतिम डिकी प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाई जाती हैं

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं